



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 23 फरवरी, 2026 / 04 फाल्गुन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

NAGAR PANCHAYAT, ARKI

NOTIFICATION

Dated, the 13th February, 2026

No. NPA/Pet Dog Bye-Laws-2025-175.—In exercise of the powers conferred under Section 113 read with section 202 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, I, Abhinav Sharma,

257—राजपत्र / 2025—23—02—2026

(11803)

Secretary, Nagar Panchayat Arki, Himachal Pradesh hereby notify the following Bye laws:—

"The Nagar Panchayat Arki (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-laws, 2025."

1. Short title and Commencement.—(i) These Bye-laws may be called **"The Arki Nagar Panchayat (Registration and Control of Pet Dogs) Bye-laws, 2025."**

(ii) These shall come into force from the date of their publication in the official gazette of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these Bye-laws, unless the context otherwise requires:

- i. "Act" means the Himachal Pradesh Municipal Council Act, 1994
- ii. "Section" means the section of the Act
- iii. "Family" means the owner, his/her parents, spouse, sons, daughters, brothers and sisters living in one premises.
- iv. "Owner" means the person who owns a registered/unregistered dog and includes a person in whose custody; charge or possession a dog is found.
- v. "Pet Dog" means a male or female dog kept by a person within the area of Nagar Panchayat, Arki and other than stray dogs.
- vi. "Registration Authority" mean any officers appointed by the Secretary, Nagar Panchayat Arki.
- vii. The word sand expressions not defined in these Bye Laws shall have the same meaning as assigned to them in the H.P. Municipal Council Act, 1994.

3. Procedure for Registration of Dogs:

On and from the date of publication of these Bye-laws, registration of Pet Dog(s) (hereinafter mentioned as dog) above the age of three months, kept within the jurisdiction of Nagar Panchayat Arki shall be compulsory. The owner of Dog, on or before the first day of April of every year or within seven days of its arrival, register such dog in a Form as prescribed by the Nagar Panchayat Arki(Annexure – A) accompanied by a fee of Rs. 300 per dog as one time registration fees along with two recent photographs of the dog and a copy of vaccination certificate from a Government Veterinary Practitioner or Veterinary Practitioner duly registered with Indian Veterinary Council (IVC) or State Veterinary Council (SVC). Further, an amount of Rs. 300 per dog shall be charged as license fees/ renewal fees annually. However, a blind person keeping dog and using solely for his/her guidance shall be exempted from the payment of registration fee. On registration, the Registration Authority shall issue a metal token to be attached with the collar to be worn by the dog and in case of loss or destruction of the token; a duplicate token shall be issued to the owner on submission of an application along with a fee of Rs. 500 per token. The registration once made shall remain valid for full life span of the dog. In case of death of the dog, the owner of the dog shall immediately inform the Registration Authority. A family may keep maximum of two dogs.

4. Any registered dog found straying at large shall be liable to be seized and kept at a place set for this purpose.

5. Duties and responsibilities of the owners:

- (i) The owner of the pet dog shall be responsible for the controlled breeding, immunization, neutering and licensing in accordance with the provisions of these Bye-Laws.
- (ii) Any dog not wearing metal token or registration in accordance with clause 3 of these Bye-laws may, if found in any public place be removed and will be liable to be dealt under the orders of the Veterinary Public Health Officer, Nagar Panchayat Arki, if not claimed within 7 days by the owner.
- (iii) For the purpose of these Bye-laws any person in possession or in charge of the dog, during the absence of the real owner within the limits of N.P. Arki, shall be deemed to be the owner of the dog.
- (iv) It shall be mandatory for each owner to carry disposable bags during the time when the dog is put on Nagar Panchayat streets.
- (v) The owner of the dog shall not allow the dog to defecate in public places such as residential areas, green belts, parks, streets, roads, road beams and other common places etc. In case the dog defecates at the above specified places, the owner shall arrange to get the excreta of the dog removed from the said place at his own level. No owner shall allow the dog to defecate near the residences of other persons, his/her neighbors to his/her/their annoyance

6. The owner of the registered dog shall keep the dog under his/her control at all times so that it does not intimidate, annoy, hurt or bite any person. The Nagar Panchayat shall not be held responsible for any loss, damage or injury caused by a registered dog to any person or to his/her property and sole liability to compensate the victim will remain with the owner of the registered dog.

7. Guideline for breeders:

- (i) A breeder must be registered with Nagar Panchayat Arki. Breeder must maintain full record of the number of pups born/died from individual bitches. He shall also maintain proper record of pedigree and vaccination.
- (ii) Breeder must maintain record of the person buying the pups. He should ensure that the buyer has required knowledge for the upkeep of pups.
- (iii) Breeder must pay Rs. 5000/- as one time registration charges in the treasury of the Nagar Panchayat besides Rs. 10000/- per dog as annual fees every year. This fee to be paid by the breeding shall be over and above the registration fee / annual license fee provided in 3 above.

8. Guideline for Dog Care Centre:

- (i) A dog care centre must be registered with Nagar Panchayat Arki. Owner of dog care centre must maintain full record of the number of dogs. He shall also maintain proper record of pedigree and vaccination.
- (ii) No dog care center is allowed inside residential houses and flats

- (iii) Owner of dog care center must pay Rs. 5000/- as one time registration charges in the treasury of the Nagar Panchayat besides Rs. 10000/- license / Renewal fee every year.
- (iv) Owner of dog care centre must obtain no objection certificate from the concerned ward councilor.
- (v) Permission to operate dog care centre shall be subject to approval of Nagar Panchayat Arki.

9. The owner of the registered dog shall ensure proper space, accommodation, food and medical treatment to the dog.

10. The Registration Authority or an officer/official authorized by him shall keep the details of all these ized dogs duly entered in a register with a brief description of the dog, date of seizure, reasons of seizure and the manner in which it is disposed of.

11. The dog after its death shall not be thrown in the open or in the garbage bins of Nagar Panchayat Arki. Dead dog shall be buried at notified/earmarked places up to a depth of at least 3 ft. in a hygienic manner. The Nagar Panchayat Arki may provide a van for the disposal/burial of dead dogs in the earmarked dog burial ground son the request so received by it. The owner shall pay charges for availing the services of the van at the rates prescribed by the Secretary, Nagar Panchayat and so revised from time to time.

12. The Registration Authority or a Veterinarian, Health Supervisor, Sanitary Inspector, or any other officer of the Nagar Panchayat Arki authorized by the Registration Authority, may inspect the premises of the owner of any dog and such owner shall allow that person to enter and inspect his/her premises at all reasonable times. Such officer/official shall also be authorized to search the places where dogs are kept without registration and to seize them.

13. Penalty:

For any kind of violation non-compliance, penalty shall be imposed as per Schedule-I

14. Repeal and saving.— (i) The Bye-laws published vide H.P.Govt.Notification No.LSG-B(3)15/82 dated 19.9.1984 are here by repealed. Not with standing such repeal any thing done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the Bye-laws so repealed shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Bye-laws which were enforce on the day on which such thing was done or was taken.

Sd/-
Secretary,
Nagar Panchayat Arki, Distt. Solan (H.P.).

Annexure-A

To,

The Registration Authority, Nagar Panchayat Arki (H.P.)

Subject.—Application for Registration of Pet Dog.

<p>Attach two passport size Photograph of Pet Dog</p>

Sir,

This is to request you that I am keeping a Pet Dog in my house No. _____ Ward
No. _____, Arki. The particulars of my Pet Dog are as under:—

1. Name of Pet Dog :
2. Breed :
3. Colour and Identification of Mark
4. Age :
5. Immunization record :
6. Name and address of the Veterinary Doctor :
7. Veterinary Council Registration No. :
8. Anti Rabies Vaccination done on :
9. Signature of the Veterinary Doctor :
10. I here by deposit Rs.300/-in cash, with the request to register my pet in Nagar Panchayat records.

Dated:.....

Signature of the Applicant

Name:.....

House Address:.....

.....
.....
Contact No.....**FOR OFFICE USE ONLY**

Receipt No.....

Date:.....

Badge Number allotted to pet Dog:.....

Signature of Issuing Officer

ANNEXURE-B**Under taking from the owner of the Dog for registration**

1. I do not have more than two dogs
2. I shall keep the dog protected by getting it vaccinated against rabies from a Govt. Veterinary Practitioner or Veterinary Practitioner duly registered with Indian Veterinary Council (IVC) or State Veterinary Council (SVC).
3. I will furnish the vaccination certificate on demand during Inspection by Registration Authority or any officer/official of the Nagar Panchayat duly authorized by the Registration Authority or within a period of 10 days from such Inspection, failing which registration of the dog may be cancelled.
4. I will keep the dog chained/leashed while taking it outside. All ferocious dogs shall be duly muzzled and a stick shall be carried by the Escort accompanying the dog while taking it out.
5. I will ensure that the dog will wear a collar affixed with the metal token issued by the Registration Authority at all the times.
6. I will compensate the person if a dog bites or causes/harm to any person or to the property of any person.
7. I shall keep the dog under my control all the times, so that it does not intimidate, annoy, hurt or bite any person. I shall not make Nagar Panchayat responsible for any loss, damage or Injury caused by a registered dog to any person or to his/her property and sole liability to compensate the victim will remain with me.
8. I shall not indulge in breeding of dogs for commercial purposes and trading of dogs within the area of Municipal Council. In case it is found that dog is being kept for breeding or trading/commercial purposes by me, the Registration Authority shall impound my dog/s besides imposing a fine as fixed by the Secretary, Nagar Panchayat Arki upon me.
8. I shall not allow the dog to defecate in public places such as residential areas, green belts, parks, streets, roads, road beams and other common places etc. In case the dog defecates at the above specified places, I shall arrange to get the excreta of the dog removed from the said place at my own level. I shall not allow the dog to defecate near the residences of other persons, neighbors to their annoyance.
9. I shall ensure proper space, accommodation, food and medical treatment to the dog
10. I shall allow the registration authority or a Veterinarian, Health Supervisor, Sanitary Inspector or any other officer of the Nagar Panchayat authorized by the Registration Authority to inspect the premises of my dog and I shall allow that person to enter and inspect my premises at all reasonable times.

Signature of the Owner of the Pet Dog.

Annexure-C

To,

The Registration Authority,
Nagar Panchayat Arki (H.P.).

Attach two
passport size
Photograph
of Applicant

Subject: Application for Registrations Dog Breeder.

Sir,

This is to request you that I want to register as Dog Breeder in NP, Arki. The Particulars are as under:—

1. Name of Pet Dog Breeder :.....
2. Size and Layout of premises alongwith
detail of surface, floor, number of
physical barriers (Doors or gatees) etc. :.....
3. Detail of staff alongwith qualification/
experience. :.....
4. Detail of Dogs :.....
5. Immunization record :.....
6. Capacity of premises :.....
7. Name and address of the Veterinary Doctor :.....
8. Veterinary Council Registration No. :.....
9. Anti Rabies Vaccination done on :.....
10. Signature of the Veterinary Doctor :.....
11. I here by deposit Rs.5000/-in cash, with the request to register as Dog Breeder in
Nagar Panchayat records.
12. I here by under take to follow all guidelines mentioned in “The Arki Nagar Panchayat
(Registration and Control of Pet Dogs) Bye-Laws, 2025”.

Dated:.....

Signature of the Applicant

Name:.....

House Address:.....

.....

.....

Contact No.....

FOR OFFICE USE ONLY

Receipt No.....

Date:.....

Badge Number allotted to pet Dog:.....

Signature of Issuing Officer

Annexure-D

To,

The Registration Authority,
Nagar Panchayat Arki, Distt. Solan (H.P.).

Attach two
passport size
Photograph
of Applicant

Subject: Application for Registration of Dog Care Centre.

Sir,

This is to request you that I want to register Dog Care Centre namely _____
at _____ Ward No. _____. The particulars of Dog Care Centre are as under:—

1. Name of Dog Care Centre :.....
2. Size and Layout of premises alongwith
detail of surface, floor , number of
Physical barriers(Doors or gates) etc. :.....
3. Detail of staff alongwith qualification/experience :.....
4. Capacity of premises :.....
5. I here by deposit Rs. 5,000/-in cash, with the request to register Dog Care Centre in
Nagar Panchayat records.
6. I here by undertake to follow all guidelines mentioned in “The Nagar Panchayat Arki
Registration and Control of Pet Dogs) Bye-Laws, 2025”.

Dated:.....

Signature of the Applicant

Name:.....

House Address:.....

Contact No.....

FOR OFFICE USE ONLY

Receipt No.....

Date:.....

Badge Number allotted to pet Dog:.....

Signature of Issuing Officer

Schedule-1 (NP Arki)

For Obligation and Penalties therefore charged by Nagar Panchayat Arki

Sl. No.	Type of Applicant	Obligation	Penalties in case of violation / non compliance
1.	Pet Dog(s) Owner	Clause No. 03	Rs. 2000-00 Per dog(s) in case of continued violation Penalty per Dogs impounding.
	Pet Dog(s) Owner	Clause No. 05	Rs.1000-00 Per Dog + Impounding of Dog.
	Pet Dog(s) Owner	Clause No. 06	Rs.2000-00 Per Dog
	Pet Dog(s) Owner	Clause No. 11	Rs.2000-00 Per Dog
	Pet Dog(s) Owner	Clause No. 12	Rs.2000-00 Per Dog
2.	Dog Breeders	Clause No. 06	Rs.2000-00 Per Dog
	Dog Breeders	Clause No. 07	Rs.5000-00 Per Dog
	Dog Breeders	Clause No. 11	Rs.5000-00 Per Dog
	Dog Breeders	Clause No. 12	Rs.5000-00 Per Dog
3.	Dog Care Centers	Clause No. 06	Rs.2000-00 Per Dog
	Dog Care Centers	Clause No. 08	Rs.2000-00 Per Dog
	Dog Care Centers	Clause No. 11	Rs.5000-00 Per Dog
	Dog Care Centers	Clause No. 12	Rs.5000-00 Per Dog

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 18 फरवरी, 2026

संख्या: ई0एक्स0एन0-डी (6)-3/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 को अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) अमेंडमेंट रूल्ज, 2026 है।

(2) यह नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रूल 6-बी का संशोधन.—सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 के रूल 6 बी के सब रूल (2) में प्रोविजो के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“provided that where any dealer submits an application online to an Assessing Authority after six months from the date of generation of such declaration/certificate, the Assessing Authority or any other Officer authorized by the Commissioner of State Taxes and Excise after affording such dealer reasonable opportunity of being heard to the applicant may compound the delay by imposing a penalty of 0.1% of the value of the fresh forms or Rs. 50,000/-, whichever is higher and shall recommend the cancellation of such forms and re-issuance of fresh forms as requested to the Joint Commissioner (Enforcement, Tax Payer Services & Allied Taxes) of the concerned zone for approval.”

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव,
(राज्य कर एवं आबकारी विभाग)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-D(6)-3/2024 dated 18-02-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE TAXES AND EXCISE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 18th February, 2026

No. EXN-D(6)-3/2024.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) and (4) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 6 B.—In rule 6B of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules, 1970, after sub rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“provided that where any dealer submits an application online to an Assessing Authority after six months from the date of generation of such declaration/certificate, the Assessing

Authority or any other Officer authorized by the Commissioner of State Taxes and Excise after affording such dealer reasonable opportunity of being heard to the applicant may compound the delay by imposing a penalty of 0.1% of the value of the fresh forms or Rs. 50,000/-, whichever is higher and shall recommend the cancellation of such forms and re-issuance of fresh forms as requested to the Joint Commissioner (Enforcement, Tax Payer Services & Allied Taxes) of the concerned zone for approval.”

By order,

Sd/-
Principal Secretary,
(ST&E).

विभागीय परीक्षा बोर्ड फेयरलॉन्ज, शिमला-171 012

अधिसूचना

दिनांक, 19 फरवरी, 2026

संख्या: एम0एस0हिपा(परीक्षा)-21/76-9.—हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड की सम संख्यक अधिसूचना संख्या एम0एस0 हिपा (परीक्षा)-21/76-9-539-559, दिनांक 4 फरवरी, 2026 द्वारा जारी समय सारणी की तिथियों में अपरिहार्य/प्रशानिक कारणों से बदलाव किया गया है तथा यह विभागीय परीक्षा अब पूर्व निर्धारित दिनांक 28-04-2026 से 06-05-2026 के स्थान पर 28-04-2026 से 07-05-2026 तक संलग्न संशोधित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी।

संशोधित समय सारणी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन्ज, शिमला की Website www.hipashimla.nic.in पर उपलब्ध है व डाउनलोड की जा सकती है।

हस्ताक्षरित /—
(दिनेश कुमार शर्मा),
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड
फेयरलॉन्ज, शिमला-171012.

H.P. BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, MSHIPA, FAIRLAWNS,
SHIMLA-12

DEPARTMENTAL EXAMINATIONS, May 2025

DATE SHEET

Category: IAS/HAS

Sl. No.	Date/Day	Time	IAS Papers	HAS Papers
1.	28-04-2026 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-1)	Criminal Law & procedure & code of civil procedure (Paper-1)

		02.00 PM to 05.00 PM	Criminal Case (Paper-2)	Criminal Case (Paper-2)
2.	29-04-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Law & Procedure (Paper-3)	Revenue Law & Procedure (Paper-3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Revenue Case (Paper-5)	Revenue Case (Paper-5)
3.	30-04-2026 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	-	General Administration (Paper-6)
		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-4)	Hindi (Oral) (Paper-4)
4.	01-05-2026 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	-	Planning & Development (Paper-7)
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Constitution & Civil Law (Paper-8)
5.	02-05-2026 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Civil Services, Treasury and Financial Rules (Paper-9)	Civil Services, Treasury and Financial Rules (Paper-9)
		2.00 PM to 5.00 PM	Special Acts (Criminal), Manuals & Rules (Paper-10)	Special Acts (Criminal), Manuals & Rules (Paper-10)
6.	04-05-2026 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-11)	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-11)
		2.00 PM to 3.30 PM	-	Computer (Written)
		4.00 PM to 5.30 PM	-	Computer (Practical) (Paper-14)
7.	05-05-2026 Tuesday	10.00 AM to 11.30 AM	Motor Mechanism & Driving (Written)	Motor Mechanism & Driving (Written)
		12.30 PM to 5.00 PM	Practical (Paper-12) (Driving License is compulsory)	Practical (Paper-12) (Driving License is compulsory)
8.	06-05-2026/ 07-05-2026	10.00 AM to 5.00 PM	-	Target Shooting (Rifle & Revolver) (Paper-13)

VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

2. Computer Practical at MSHIPA.

Category: Tehsildars/Naib-Tehsildars

Sl. No.	Date/Day	Time	Tehsildars Papers	Naib-Tehsildars Papers
1.	30-04-2026 Thursday	2.00 PM to 5.00 PM	Hindi (written) (Paper-4)	Hindi (written) (Paper-4)
2.	01-05-2026 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Law & Procedure (Paper-1)	Revenue Law & Procedure (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Arithmetic & Patwaris Mensuration (Paper-2)	Arithmetic & Patwaris Mensuration Paper-2)
3.	02-05-2026 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)	Minor Revenue Acts & Rules (Paper-3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-5)	Criminal Law & Procedure & code of civil procedure (Paper-5)
4.	04-05-2026 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Revenue Case (Paper-6)	-
		2.00 PM to 5.00 PM	Special Acts (Criminal), Manual and Rules (Paper-7)	-
5.	05-05-2026 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Civil Service, Treasury & Financial Rules (Paper-8)	-

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.**Category: Technical/Non-Technical Departments**

Sl. No.	Date/Day	Time	Technical Papers	Non-Technical Papers
1.	28-04-2026 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Financial Administration (Paper-1) (Only for Principals/ eligible Lecturers/ Headmasters and eligible Teachers of Education Deptt.)	-

		2.00 PM to 5.00 PM	Financial Administration (Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.)	Financial Administration (Paper-1) (For other than teachers of Education Deptt.)
2.	29-04-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Concerned Departments (Paper-3)	Concerned Departments (Paper -3)
		10.00 AM to 12.00 PM	HPPSC Computer (Written) (Paper-3)	
		12.30 PM to 1.30 PM	HPPSC Computer (Practical)	
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Concerned Departments (Paper-4)
3.	30-04-2026 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	-	Concerned Departments (Paper-5)
		10.00 AM to 11.30 AM	-	Panchayati Raj- Computer (Written) (Paper-5)
		12.00 PM to 1.30 PM	-	Panchayati Raj- Computer (Practical)
		2.00 PM to 5.00 PM	-	Transport Department (Paper-6)
		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)	Hindi (Oral) (Paper-2)

- VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla**
2. Mandi and Dharamshala for Financial Administration only
3. Computer Practical at MSHIP/Govt. Degree College Sanjauli

Category : STO (Excise & Taxation Inspectors)

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	01-05-2026 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Law of Crimes (Paper-1)
		2.00 PM to 5.00 PM	Excise Law and Laws related of recovery of arrears (Paper-2)

2.	02-05-2026 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Allied taxes and Enforcement of certain provision under GST Laws (Paper-3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Goods & Services Tax Laws (Paper-4)
3.	04-05-2026 Monday	10.00 AM to 1.00 PM	Accounting & IT (Paper-5)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

Category: Non-Technical Department (Treasury and Distt. Treasury Officers)

Sl. No.	Date/Day	Time	Non-Technical Papers
1.	28-04-2026 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	-
		2.00 PM to 5.00 PM	Financial Rules (Paper-5)
2.	29-04-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Principles of Accounts (Paper -3)
		2.00 PM to 5.00 PM	Treasury Rules and Accounting Procedures (Paper-4)
3.	30-04-2026 Thursday	10.00 AM to 12.00 AM	I.T. (Written)
		12.30 PM to 1.30 PM	I.T. (Practical) (Paper-1)
		2.00 PM to 3.30 PM	Hindi (written)
		3.30 PM to 5.00 PM	Hindi (Oral) (Paper-2)

VENUE: 1. Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla

2. I.T. Practical at MSHIPA/Govt. Degree College Sanjauli

BOARDS/CORPORATIONS

Category: H.P.BOARD OF SCHOOL EDUCATION

Sl. No.	Date/Day	Time	EDUCATION BOARD
1.	28-04-2026 Tuesday	2.00 PM to 5.00 PM	Financial Administration (Paper-1)
2.	29-04-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Administration and General (Paper-2)

		2.00 PM to 5.00 PM	Board Act and Regulations (Paper-3)
--	--	--------------------	--

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

**Assistant Engineers/ Engineering Officers (Electrical) of H.P. State
Electricity Board LTD**

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	01-05-2026 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-A(Open Book) Rules, Regulations, Procedures and Acts.
2.	02-05-2026 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-B Part-1 (Open Book) Consumer/Company accounts and accounting procedures. Part-2 (No Book allowed) Electrical Engineering Basics.

Assistant Engineers/Engineering Officer (Civil & Mechanical) of H.P.

State Electricity Board Ltd.

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	01-05-2026 Friday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-A(Open Book) Rules, Regulations, Procedures and Acts.
2.	02-05-2026 Saturday	10.00 AM to 1.00 PM	Paper-B Part-1 (Open Book) Consumer/Company accounts and accounting procedures. Part-2 (No Book allowed) Civil Engineering.

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

Assistant Engineers(C)/Sr. Managers of H.P. Tourism Development Corp. Ltd.

Sl. No.	Date/Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	28-04-2026 Tuesday	10.00 AM to 1.00 PM	Accounts & Administration (common for Sr. Managers & Asstt. Engineers (C) of HPTDC) (Paper-1)

		2.00 PM to 5.00 PM	Hotel Management (Sr. Managers of HPTDC) (Paper-2)
2.	29-04-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Project Management & Engineering (Rules & Acts) (Assistant Engineers of HPTDC) (Paper-3)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

**DEPARTMENTAL EXAMINATION FOR KANUNGO/ PATWARIS OF
REVENUE DEPTT.**

Sl. No.	Date/ Day	Time	Paper Name /Paper Number
1.	05-05-2026 Tuesday	2.00 PM to 5.00 PM	HP Land Record, Rules (Revised Manual) (Paper-1)
2.	06-05-2026 Wednesday	10.00 AM to 1.00 PM	Settlement Manual & Patwaris Mensuration (Paper-2)
		2.00 PM to 5.00 PM	Arithmetic (Paper-3)
3.	07-05-2026 Thursday	10.00 AM to 1.00 PM	Reporting, Calligraphy, Writing and Hindi Essay (at the Matric level/Standard) (Paper-4)

VENUE: Govt. Degree College (Centre of excellence) Sanjauli at Shimla.

ब अदालत इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)-172 104

मुकद्दमा संख्या : 02/B&D/2026

तारीख रजुआ : 11-02-2026

प्रवेश कुमार पुत्र श्री गीता राम, निवासी उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त अधीन धारा-13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म पंजीकरण बारे।

आवेदक प्रवेश कुमार पुत्र श्री गीता राम, निवासी उरनी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का प्रार्थना-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ के कार्यालय पत्र संख्या HFW-KNR(B&D)/7651-52, दिनांक 10-09-2024 तहसीलदार निवार के माध्यम से इस अदालत में एक शपथ-पत्र सहित प्राप्त हुआ है, जिसमें आवेदक ने अपने पुत्र अनिश कुमार की जन्म तिथि 26-04-2009 ग्राम पंचायत उरनी में दर्ज करने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत उरनी के रिकार्ड में प्रार्थी प्रवेश कुमार के पुत्र अनिश कुमार की जन्म तिथि दिनांक 26-04-2009 दर्ज किए जाने पर किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह अथवा दिनांक 11-03-2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे, अन्यथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-13(3) के अंतर्गत श्री प्रवेश कुमार के पुत्र अनिश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत उरनी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172 104**

मिसल नं0 : 80347 / 2026

तारीख रजुआ : 03-02-2026

श्री विरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री राम राज, निवासी गांव पूनग, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38 के तहत राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती।

श्री विरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री राम राज, निवासी गांव पूनग, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती करने बारे पेश किया है। प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त छोलतु के राजस्व अभिलेख में विरेन्द्र सिंह दर्ज है, जबकी उसका नाम संलग्न दस्तावेज नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया, मेट्रिक सर्टिफिकेट व आधार कार्ड में विरेन्द्र कुमार सही दर्ज है। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम विरेन्द्र कुमार दुरुस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण/आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त छोलतु के सभी उपमहालात में विरेन्द्र सिंह पुत्र राम राज के बजाये विरेन्द्र कुमार उपनाम विरेन्द्र सिंह पुत्र राम राज दुरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज अन्दर एक माह अथवा दिनांक 11-03-2026 प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज लिखित रूप में पेश करे, अन्यथा हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 38 के तहत प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 11-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Additional District Magistrate-cum-Collector, Sub-Division Pooh, District
Kinnaur (H.P.)**

Case No. : 0/2026

Sh. Laxmi Devi d/o Shri Man Bahadur, r/o V.P.O. Spillow, Tehsil Pooh, District
Kinnaur (H.P.) . . .Applicant.

Versus

General Public

. . .Respondent.

Subject.—Regarding application U/S 13(3) of Birth & Death Registration Act, for registration of
birth.

Applicant Sh. Laxmi Devi d/o Shri Man Bahadur, r/o V.P.O. Spillow, Tehsil Pooh, District
Kinnaur (H.P.) has moved an application before the District Registrar (Birth & Death)-cum-Cheif
Medical Officer Kinnaur, H.P under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits
and other documents stating therein that she was born on 01-10-1985 at V.P.O. Spillow, Tehsil
Pooh, District Kinnaur, H.P. but her date of birth could not be entered in the birth record of Gram
Panchayat Spillow, Tehsil Pooh, Distt. Kinnaur, H.P.

Therefore, by this proclamation, the general public and relatives of applicant are hereby
inform that any person having any objection for the registration of delayed date of birth
(01-10-1985) of applicant Sh. Laxmi Devi d/o Shri Man Bahadur, r/o V.P.O. Spillow, Tehsil Pooh,
District Kinnaur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before one month
failing which no objection will be entertained after expiry of duration.

Given under my hand and seal of the court of this 03-02-2026.

Seal.

Sd/-
Additional District Magistrate,
Sub-Division Pooh, District Kinnaur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 26 / 2025

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्रीमती पदमा देवी पुत्री स्व0 दूर्गा नन्द, निवासी गांव काशपो, डाकघर निचार, तहसील निचार, जिला
किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती पदमा देवी पुत्री स्व० दूर्गा नन्द, निवासी गांव काशपो, डाकघर निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि 04-09-1966 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत निचार के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत निचार, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकद्दमा नम्बर : 05/2026

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव बारो, डाकघर सुगंरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी गांव बारो, डाकघर सुगंरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थी उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 09-08-2008 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुगंरा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सका। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थी व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थी के स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सुगंरा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध

व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुंगरा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 24 / 2025

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्रीमती सारिका पुत्री टीकम सिंह, निवासी गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती सारिका पुत्री टीकम सिंह, निवासी गांव काचरंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 05-04-2005 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नाथपा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 17/2025

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्रीमती श्याम देवी पुत्री श्री शारु राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती श्याम देवी पुत्री श्री शारु राम, निवासी गांव पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 28-11-1965 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 20/2025

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्रीमती सरताबी पुत्री स्व0 भाग चन्द, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती सरताबी पुत्री स्व० भाग चन्द, निवासी गांव व डाकघर पानवी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 30-12-1970 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोंडा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पानवी, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

मुकद्दमा नम्बर : 25/2025

तारीख रजूआ

तारीख फैसला

श्रीमती राम प्यारी पुत्री स्व० हरी चन्द, निवासी गांव व डाकघर छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती राम प्यारी पुत्री स्व० हरी चन्द, निवासी गांव व डाकघर छोटा कम्बा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 06-05-1964 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत छोटा कम्बा के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इशतहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत

छोटा कम्बा, तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नम्बर : 22/2025

तारीख रजुआ

तारीख फैसला

श्रीमती कुन्डामणी पुत्री स्व0 बदर सैन, निवासी गांव काफनू डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्ति

... प्रत्यार्थी।

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बराए जन्म पंजीकरण।

यह दरखास्त श्रीमती कुन्डामणी पुत्री स्व0 बदर सैन, निवासी गांव काफनू डाकघर हुरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0) से जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जिला किन्नौर के माध्यम से प्राप्त हुई है। प्रार्थिया उपरोक्त ने आवेदन-पत्र में स्वयं की जन्म तिथि जोकि 09-12-1961 है व अज्ञानता के कारणवश जन्म तिथि ग्राम पंचायत काफनू के अभिलेख में दर्ज नहीं करा सकी। अतः अब दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः मुताबिक दरखास्त प्रार्थिया व पत्र जिला पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, जिला किन्नौर को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत काफनू के अभिलेख में पंजीकरण के आदेश पारित करने से पहले आम जनता व सभी हितबद्ध व्यक्तियों से उजर/एतराज प्राप्त करने हेतु इश्तहार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक है। अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता व समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत काफनू तहसील निचार के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशित होने की तारीख से एक माह के भीतर असालतन या वकालतन हमारी अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में पेश कर सकता है। मियाद खत्म होने के बाद किसी भी प्रकार का उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 13-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निचार स्थित भावानगर, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमंड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री विजय कुमार पुत्र विनोद कुमार, निवासी तुनन, डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री विजय कुमार पुत्र विनोद कुमार, निवासी तुनन, डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की बेटी आराध्या पुत्री विजय कुमार का जन्म दिनांक 20-10-2017 को गांव तुनन, ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, लेकिन वह अज्ञानतावश उनकी बेटी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत तुनन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 03-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 03-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमंड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री चंदे राम पुत्र ज्ञानू, निवासी गाओंबील, डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री चंदे राम पुत्र ज्ञानू, निवासी गाओंबील, डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की बुआ हरी पुत्री धनु की मृत्यु दिनांक

01-07-1974 को गांव गाओंबील, ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन वह अज्ञानतावश उनकी बुआ की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत तुनन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बुआ की मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 03-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 03-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत रजत शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री बेली राम पुत्र खिमे राम, निवासी गांव व डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत विलम्बित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री बेली राम पुत्र खिमे राम, निवासी गांव व डाकघर तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की बेटी सीमा पुत्री बेली राम की मृत्यु दिनांक 01-07-2005 को गांव व ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन वह अज्ञानतावश उनकी बेटी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत तुनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत तुनन के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के मृत्यु का विलम्बित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 03-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैर-हाजरी की सूरत में प्रार्थना-पत्र जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 03-03-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 17-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 31/2026

आगामी पेशी : 10-03-2026

श्रीमती मेहरू देवी पुत्री श्री शिव चन्द, निवासी गांव व डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मेहरू देवी पुत्री श्री शिव चन्द, निवासी गांव व डा0 रैला, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-2445-46, Dated 04-02-2026, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ—पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-03-1983 है जो कि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 18-03-1983 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रैला के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-1 में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-03-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 18-03-1983 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 34/2026

आगामी पेशी : 10-03-2026

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री तुले राम, निवासी गांव मैल, डा0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री तुले राम, निवासी गांव मैल, डा0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-23410-11, Dated 30-12-2025, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 27-12-1992 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 27-12-1992 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-1 में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असातन या वकालतन तारीख पेशी 10-03-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 27-12-1992 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 32/2026

आगामी पेशी : 10-03-2026

श्रीमती गेहरी देवी पुत्री श्री पुरखू, निवासी गांव बड़ीधार, डा0 भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गेहरी देवी पुत्री श्री पुरखू, निवासी गांव बड़ीधार, डा0 भलाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-22459-60, Dated 11-12-2025, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 25-04-1990 है जोकि अज्ञानतावश

तत्कालिक ग्राम पंचायत तलाड़ा हाल ग्राम पंचायत भलाण-2 के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 25-04-1990 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तलाड़ा/भलाण-2 के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-1 में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-03-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तलाड़ा/भलाण-2, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 25-04-1990 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 33/2026

आगामी पेशी : 10-03-2026

श्रीमती मैना देवी पुत्री श्री खूब राम, निवासी गांव रूआड़, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मैना देवी पुत्री श्री खूब राम, निवासी गांव रूआड़, डा0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-23408-09, Dated 30-12-2025, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज को सम्बोधित है, इस अदालत में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थिया ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-02-1986 है जोकि अज्ञानतावश तत्कालिक ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 28-02-1986 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-1 में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10-03-2026 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर

प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 28-02-1986 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 07-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.)**

1. Lhundup Gyaltzen s/o Late Sh. Jamga, r/o H.No. 111, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

2. Ms. Penpa Dolma d/o Sh. Kunchok Woser, r/o H.No. 111, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Notice under section Marriage Act.

Sh. Lhundup Gyaltzen s/o Late Sh. Jamga, r/o H.No. 111, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Ms. Penpa Dolma d/o Sh. Kunchok Woser, r/o H.No. 111, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. have filed an application alongwith the affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 13-01-1999, and requested to registered the same under special Marriage Act, before taking further action in the said application, objection from the general public are invited for the registration of this marriage through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage under Special Marriage Registration Act, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 9th January, 2026.

Seal.

Sd/-
(RAMAN KUMAR SHARMA),
Marriage Officer-cum-SDM,
Manali, District Kullu (H.P.).

Before the Sub-Divisional Collector, Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.)

In the matter of :

File No. 60444/2026

Champa Devi d/o Prakash Chand, r/o Village Manwana, P.O. Khudla, Tehsil Baldwara,
Distt. Mandi, H.P. & Other . . . *Applicants.*

Versus

1. Virender Kumar s/o Prakash Chand, 2. Virendra Kumari d/o Prakash Chand, 3. Suman Kumari d/o Prakash Chand, 4. Rajender Kumar s/o Roshan Lal, 5. Amri Devi w/o Roshan Lal, 6. Chander Lal s/o Prem, 7. Kishori Lal s/o Narotam, 8. Suraj Pal s/o Narotam, 9. Kamla Devi d/o Narotam, 10. Saraswati Devi d/o Narotam all r/o Village Manwana, P.O. Khudla, Tehsil Baldwara, Distt. Mandi, H.P., 11. Shardei w/o Narotam, r/o Village Samloun, P.O. Bahnu, Tehsil Baldwara, Distt. Mandi, H.P., 12. Smt. Rodi w/o Kalu, r/o Vill. Manwana, P.O. Khudla, Tehsil Baldwara, Distt. Mandi, H.P. . . . *Respondents.*

Appeal u/s 14 of H.P. Land Revenue Act, against the order dated 27-12-2025 passed in file No. 39/2022 (Old), 14P/2025 (New) by the A.C. 1st Grade, Baldwara.

Notice:

Whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that the respondents cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against the respondents and should appear personally or through their counsel on 12-03-2026 at 11.00 A.M. Take notice that in default of their appearance on the day before mentioned the above said case will be heard and determined in his/their absence.

Given under my hand & seal of the Court on this 13-02-2026.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Collector,
Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Suraj Bhardwaj s/o Sh. Basant Singh Bhardwaj, r/o Village Fagoh, P.O. Sainji, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

2. Kathleen Grace Jimenez Dolino d/o Rodrigo Abayan Dilino, r/o 189, Champaca II Street, Fortune Marikina City, Philipplines.

Versus

General Public

Subject.—An application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Suraj Bhardwaj s/o Sh. Basant Singh Bhardwaj, r/o Village Fagoh, P.O. Sainji, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and Smt. Kathleen Grace Jimenez Dolino d/o Rodrigo Abayan Dilino, r/o 189, Champaca II Street, Fortune Marikina City, Philipplines state under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they solemnized their marriage on 03-01-2026 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Mata Temple Diargi, Tehsil Balh, District Mandi, H.P and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 05-03-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 07-02-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H. P.)**

In the matter of :

1. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Nalwari, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Rachana Vaidya d/o Smt. Seema, r/o H. No. 182/5, Palace Colony, Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P.

Versus

General Public

Subject.—An application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Parma Nand, r/o Village Nalwari, P.O. Galma, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and Smt. Rachana Vaidya d/o Smt. Seema, r/o H. No. 182/5, Palace Colony, Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. state under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they solemnized their marriage on 09-07-2025 according to Hindu rites and customs at Jai Dev Bala Tika Baniuri, P.O. Nandi, Tehsil Chachiot, District Mandi, H.P and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-03-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 16-02-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत श्री प्रकाश चंद पान्टा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 81772 / 2025

तारीख मजरुआ : 10-11-2025

श्रीमती राधा देवी पुत्री शोभू (पत्नी घासी राम), निवासी धार पबेच, डा0 लेउ नाना, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—Proclamation u/s-37 (1) of H.P. Land Rev. Act, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राधा देवी पुत्री शोभू (पत्नी घासी राम), निवासी धार पबेच, डा0 लेउ नाना, उप-तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 35 ता0 38 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनका कथन है कि उसका असल नाम राधा देवी पुत्री शोभू है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ ब्यान हल्फिया, प्रधान रिपोर्ट ग्राम पंचायत कोटला बांगी, आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, वोटर कार्ड प्रति, बैंक पासबुक प्रति संलग्न की है परन्तु राजस्व अभिलेख मोहाल धार पबेच में राधा देवी पुत्री शोभू के स्थान पर फुल्मा पुत्री शोभू दर्ज हो गया है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मोहाल उपरोक्त की मलकीयत भूमि में फुल्मा के स्थान पर राधा देवी उर्फ फुल्मा पुत्री शोभू करवाना चाहती है। चूंकि उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं ऐसा प्रार्थिया का कथन है।

अतः यदि उपरोक्त नाम राजस्व अभिलेख मोहाल धार पबेच में फुल्मा के स्थान पर राधा देवी उर्फ फुल्मा पुत्री शोभू करने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 28-02-2026 तक किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक न्यायालय सहायक समाहर्ता, उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी में असालतन व वकालतन पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने उपरांत सेहत इन्द्राज के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 30-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील पझौता स्थित नौहरी,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव शाही ओडर, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थिया श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह, निवासी गांव शाही ओडर, डा0 एवं ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/-8983, दिनांक 13-10-2025 अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु चाकली तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 नकल परिवार रजिस्ट्रार रिपोर्ट ग्राम पंचायत चाकली एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 20-06-1970 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके। परन्तु अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती परीक्षा देवी पुत्री श्री सुन्दर सिंह की जन्म तिथि 20-06-1970 ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 31-01-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री मदन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव क्यारी, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, निवासी गांव क्यारी, डा0 चाकली, ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2241-2973, दिनांक 07-11-2025 अनुलग्नक क्रमशः

अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु चाकली तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी ने आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-07-1977 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री मदन सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह की जन्म तिथि 06-07-1977, ग्राम पंचायत क्यारी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 31-01-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती साबरी पत्नी श्री मन्जूर अली, निवासी मोहल्ला हरिपुर, बगीची नाहन, डा0 एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अदालती इशतहार/नोटिस।

श्रीमती साबरी पत्नी श्री मन्जूर अली, निवासी मोहल्ला हरिपुर, बगीची नाहन, डा0 एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2241-2241, दिनांक 17-05-2025 अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, दो गवाहन के ब्यान हल्फी, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगरपालिका नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 प्रति पासपोर्ट एवं अन्य कागजात सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया ने आवेदन किया है कि उसके पिता दसौंधी खान पुत्र नाथूराम की मृत्यु तिथि 26-02-1986 है, जिसे वह एवं उसका परिवार अज्ञानतावश नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन में दर्ज न करवा सके। अब वह अपने पिता की मृत्यु तिथि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 28-02-2026 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर या एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती साबरी पत्नी श्री मन्जूर अली के पिता दसौंधी खान पुत्र नाथूराम की मृत्यु तिथि 26-02-1986, नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 31-01-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

आशा देवी पुत्री श्री धोंगू राम, निवासी ग्राम नाया, डाकघर हल्लान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम नाया, डाकघर हल्लान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

आशा देवी पुत्री श्री धोंगू राम, निवासी ग्राम नाया, डाकघर हल्लान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-12452, dated 03-01-2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 31-12-1983 को ग्राम पंचायत हल्लान के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फिया प्रपत्र 10, आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि आशा देवी पुत्री श्री धोंगू राम, निवासी ग्राम नाया, डाकघर हल्लान, ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 31-12-1983 को ग्राम पंचायत हल्लान, विकास खंड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 01-03-2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया आशा देवी पुत्री श्री धोंगू राम की जन्म तिथि 31-12-1983 को ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 29-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय कृष्ण, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील रोनहाट,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री रण सिंह पुत्र श्री बुध राम, निवासी ग्राम जरवा, ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली, उप-तहसील रोनहाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता निवासी ग्राम जरवा, ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रण सिंह पुत्र श्री बुध राम, निवासी ग्राम जरवा, ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-13133-dated 20-01-2026 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी अपनी स्वर्गीय माता श्रीमती सुरमी देवी की मृत्यु तिथि 25-11-2003 को ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका रिकार्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया गया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 आधार कार्ड, परिवार नकल इत्यादि संलग्न किया है तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रण सिंह पुत्र श्री बुध राम, निवासी ग्राम जरवा, ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली, उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की माता स्वर्गीय श्रीमती सुरमी देवी की मृत्यु तिथि 25-11-2003 को ग्राम पंचायत जरवा-जुनेली, विकास खंड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति व दावा इस अदालत में दिनांक 05-03-2026 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी श्री रण पुत्र बुध राम की माता स्वर्गीय श्रीमती सुरमी देवी की मृत्यु तिथि 25-11-2003 को ग्राम पंचायत नाया जरवा-जुनेली, विकास खण्ड शिलाई के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय जन्म एवं मृत्यु पंजीपाल को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

मिसल नं० : 04 / 2026

तारीख मरजुआ : 04-21-2026

श्री रघुवीर सिंह पुत्र जातिराम, निवासी जांगण, डा0 व ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इशतहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री रघुवीर सिंह पुत्र जातिराम, निवासी जांगण, डा0 व ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9(3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत

छोगटाली में दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म की तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 20-07-1973 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत छोगटाली के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रघुवीर सिंह पुत्र जातिराम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोगटाली में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्यदिवस पर हमारे कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा सचिव रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु ग्राम पंचायत छोगटाली को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-02-2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं0 : 20/13 B ऑफ 2025

तारीख मजरुआ : 11-09-2025

नीरज कुमारी पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी गांव डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

नीरज कुमारी पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी गांव, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम नीरज कुमारी की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का नाम नीरज कुमारी है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा नारग, उप-तहसील नारग में श्रीमती नीरज कुमारी दर्ज है। अब प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा नारग, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर श्रीमती नीरज कुमारी के स्थान पर नीरज कुमारी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थिया का नाम नीरज कुमारी राजस्व अभिलेख मौजा नारग में श्रीमती नीरज कुमारी के स्थान पर नीरज कुमारी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं० : 21/13 ऑफ 2025

तारीख मजरुआ : 11-09-2025

मोनिका कुमारी पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी गांव, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

मोनिका कुमारी पुत्री श्री दीना नाथ, निवासी गांव डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम मोनिका कुमारी की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थिया का नाम मोनिका कुमारी है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा नारग, उप-तहसील नारग में श्रीमती मोनिका कुमारी दर्ज है। अब प्रार्थिया अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा नारग, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर श्रीमती मोनिका कुमारी के स्थान पर मोनिका कुमारी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख मौजा नारग में श्रीमती मोनिका कुमारी के स्थान पर मोनिका कुमारी दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

दावा सं० : 802318 ऑफ 2025

तारीख मजरुआ : 03-02-2026

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री प्रितम सिंह, निवासी गांव सलाहट, डाकघर कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1953.

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री प्रितम सिंह, निवासी गांव सलाहट, डाकघर कुज्जी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपना नाम धर्म चन्द की दुरुस्ती करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थी का नाम धर्म चन्द है, परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट, उप-तहसील नारग में धर्म सिंह दर्ज है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट, उप-तहसील नारग में दुरुस्त करवा कर धर्म सिंह के स्थान पर धर्म चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को प्रार्थी का नाम धर्म चन्द राजस्व अभिलेख मौजा सलाहट में धर्म सिंह के स्थान पर धर्म चन्द दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-03-2026 को प्रातः 10.00 बजे तक अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Vijay Rawat s/o Virender Rawat, r/o (H. No. 95) Badripur, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my name is incorrectly listed as Jitender Rana in my Aadhar Card and should be corrected to Vijay Rawat.

VIJAY RAWAT
s/o Virender Rawat,
r/o (H. No. 95) Badripur,
Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Lata Devi w/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Matehari, P.O. Nabahi, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 9700 4767 3580 my name is wrongly entered as Jalpa Devi. Which should be corrected as Lata Devi. Please correct this.

LATA DEVI
w/o Late Sh. Pritam Singh,
r/o Village Matehari, P.O. Nabahi,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Satish Kumar s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Kulath (120), P.O. & Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Davansh to Devansh Kashyap. Please note all concerned for further.

SATISH KUMAR
s/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Kulath (120),
P.O. & Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hari Bhadur s/o Tez Bahadur, r/o Himri (11) Himri, Shimla, Kotkhai (H.P.)-171 202 declare that I have changed my minor son's name from Surat (Old Name) to Suraj (New Name). All concerned please may notice.

HARI BHADUR
s/o Tez Bahadur,
r/o Himri (11) Himri,
Shimla, Kotkhai (H.P.)-171 202.

CHANGE OF NAME

I, Akshay s/o Bhag Singh, Village Jadana, Deot (41), Dewat, Shimla (H.P.)-171 211 declare that I have changed my minor daughter's Aadhar Card name from Baby one of Manju Zinta (Old Name) to Advika Zinta (New Name). All concerned please may notice.

AKSHAY
s/o Bhag Singh,
Village Jadana, Deot (41),
Dewat, Shimla (H.P.)-171 211.

CORRECTION OF NAME

I, Prakash s/o Sh. Bhawan Singh, Village Bhatoli, P.O. Jhakandon, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that correct name of my daughter as Suhani instead of Sohani. In all relevant documents.

PRAKASH
s/o Sh. Bhawan Singh,
Village Bhatoli, P.O. Jhakandon,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sandeep s/o Sh. Mehar Singh, r/o Village Sara, P.O. Kanahar, Sub-Tehsil Kotgarh, Distt. Shimla (H.P.) declare that in my daughter's Aadhar Card her name is wrongly entered as Baby two of Sheetal. Which should be corrected as Medhya Chauhan. Please correct this.

SANDEEP
s/o Sh. Mehar Singh,
r/o Village Sara, P.O. Kanahar,
Sub-Tehsil Kotgarh, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohinder Singh Damseth s/o Late Sh. Atma Ram, r/o Village Manyana. P.O. Chanair, Sub-Tehsil Deha, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Mahindra Singh Chauhan (Previous Name) to Mohinder Singh Damseth (New Name). All concerned please may note.

MOHINDER SINGH DAMSETH
*s/o Late Sh. Atma Ram,
r/o Village Manyana. P.O. Chanair,
Sub-Tehsil Deha, Tehsil Theog, Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Anikate s/o Sh. Manoj Kumar, r/o Kuttan Hall, R.P. Niwas Boileauganj, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that in Aadhar Card spelling of my name is wrongly entered as Anikate. Whereas correct spelling is Aniket.

ANIKATE
*s/o Sh. Manoj Kumar,
r/o Kuttan Hall, R.P. Niwas Boileauganj,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Attar Singh s/o Sabla Ram, r/o Village Khalando, P.O. Koti Bouch, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 027 declare that I have changed my minor son's name from Kentish Rana (Old Name) to Kainish Rana (New Name). All concerned please may notice.

ATTAR SINGH
*s/o Sabla Ram,
r/o Village Khalando, P.O. Koti Bouch,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.)-173 027.*

CHANGE OF NAME

I, Dilmi Ram s/o Jitu Ram, Tehsil Chaupal Shatal (169), Bijmal, Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my minor son's name from Bhopala (Old Name) to Bhopal (New Name). All concerned please may note.

DILMI RAM
*s/o Jitu Ram,
Tehsil Chaupal Shatal (169),
Bijmal, Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Anju Attri w/o Sh. Manoj Kumar, r/o Vill. Mariog (344), Teh. Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from "Anju Attri" to "Anjana Attri". Please note all concerned for further.

ANJU ATTRI
w/o Sh. Manoj Kumar,
r/o Vill. Mariog (344),
Teh. Pachhad, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narvada (New Name) w/o Sh. Naukhi Ram, r/o Village Deothi Majhgaon, P.O. Deothi Majhgaon, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) Pin-171 226 declare that I have changed my name from Narda (old name) to Narvada (new name). All concerned please may note.

NARVADA
w/o Sh. Naukhi Ram,
r/o Village Deothi Majhgaon,
P.O. Deothi Majhgaon,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Banita aged about 40 years, w/o Late Sh. Ved Prakash, r/o Village Bagh, P.O. Pandoa, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 019 declare that I have changed my minor daughter's name from Bhanu Verma (Old Name) to Bhawana Verma (New Name). All concerned please may note.

BANITA
w/o Late Sh. Ved Prakash,
r/o Village Bagh,
P.O. Pandoa, Tehsil Sunni,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Tsewang Lamo age 51 years w/o Sh. Som Dev, r/o Village Dalang, P.O. Gondhla, Teh. Keylong, Distt. Lahul & Spiti (H.P.) declare that in my husband's service record my name has been mentioned as Tsewang Lamo w/o Som Dev but in Aadhar records my name is wrongly mentioned as Lamo w/o Sonam Angroop. Now I have changed my name from Lamo w/o Sonam Angroop to Tsewang Lamo w/o Sh. Som Dev. Today onwards my name be considered as Tsewang Lamo w/o Sh. Som Dev for all purposes. Please note that.

TSEWANG LAMO
w/o Sh. Som Dev,
r/o Village Dalang,
P.O. Gondhla, Teh. Keylong,
Distt. Lahul & Spiti (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Partap Singh s/o Sh. Balak Ram, r/o Village Barkoli, P.O. Pulbahal, Tehsil Chopal, Distt. Shimla (H.P.)-171 226 declare that I have changed my son's name from Rudra (Previous Name) to Ruder (New Name) in his Aadhar Card records. All concerned please may note.

PARTAP SINGH
s/o Sh. Balak Ram,
r/o Village Barkoli,
P.O. Pulbahal, Tehsil Chopal,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I Ramesh Chand s/o Kanshi Ram, Vill. Basadhar, Tehsil Chaupal Nerua (S.T.), Nerwa, Distt. Shimla (H.P.)-171 210 declare that I have changed my minor daughter's Aadhar Card name from Shakshi (Old Name) to Sakshi (New Name). All concerned please may note.

RAMESH CHAND
s/o Kanshi Ram,
Vill. Basadhar,
Tehsil Chaupal Nerua (S.T.), Nerwa,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mohammed Sharif s/o Mohammed Hanif, r/o Ram Bhaban Niwas, Near Meat Market, Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my mother's actual name is Hazara Khatun. But in my passport my mother's name is wrongly entered as Hazara Praveen. I want to correct the mother's name as Hazara Khatun in my passport.

MOHAMMED SHARIF
s/o Mohammed Hanif,
r/o Ram Bhaban Niwas,
Near Meat Market, Rohru,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ramesh Chaudhry s/o Sh. Moti Lal Chaudhry, r/o Vill. Talauna (11), Kakkarhatti, Solan (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Bhawana Chaudhry to Bhawna. Please note all concerned for further.

RAMESH CHAUDHRY
s/o Sh. Moti Lal Chaudhry,
r/o Vill. Talauna (11), Kakkarhatti, Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anand Siddharth s/o Sh. Hari Singh, r/o Vill. & P.O. Jangi, Teh. Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Hrihaan Mathas to Harihaan Mathas. Please note all concerned for further.

ANAND SIDDHARTH
s/o Sh. Hari Singh,
r/o Vill. & P.O. Jangi,
Teh. Moorang, Distt. Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reena w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Giripul (55), VTC Palashala, P.O. Karganoo-Sanora, Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from "Tegesvane" to "Tejaswini". Please note all concerned for further.

REENA
w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o Giripul (55). VTC Palashala, P.O. Karganoo-Sanora,
Tehsil Rajgarh, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tarun Sharma s/o Jai Krishan, r/o Vill. Dadhog (43), P.O. Brewery, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from "Baby Two of Monika Sharma" to "Lavish Sharma". Please note all concerned for further.

TARUN SHARMA
s/o Jai Krishan,
r/o Vill. Dadhog (43), P.O. Brewery,
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Baldev Kumar s/o Mr. Karmiya Ram, r/o Vill. Janol Sarcha, P.O. Pressi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.) declare that my son Divyansh Thakur was born on 22-10-2018 at KNH, Shimla (H.P.). That due to an error in the Aadhar Card of my son his name has been wrongly entered as "MCH" instead of his correct name Divyansh Thakur. Both names are of same and one person.

BALDEV KUMAR
s/o Mr. Karmiya Ram,
r/o Vill. Janol Sarcha, P.O. Pressi,
Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar aged 44 years s/o Late Sh. Bala Ram, r/o Village Panti, P.O. Rouri, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed the name of my daughter from Harshita (Old Name) to Harshika Thakur (New Name). All concerned please may note.

ANIL KUMAR
*s/o Late Sh. Bala Ram,
r/o Village Panti, P.O. Rouri,
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Gurmej Kaur *alias* Gurmet Kaur w/o Ajmer Singh, r/o 157/1, Adarsh Colony, Near SBI Bank, Taruwala, Badripur, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my correct name is Gurmej Kaur, however my name is mistakenly mentioned as Gurmet Kaur in Aadhar Card, which needs to be corrected.

GURMEJ KAUR *alias* GURMET KAUR
*w/o Ajmer Singh,
r/o 157/1, Adarsh Colony, Near SBI Bank, Taruwala,
Badripur, Paonta Sahib, Distt. Sirmaur (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Mohan Lal s/o Sh. Pal Singh, Village Bainkuan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that the name of my minor daughter Mehak has been wrongly registered as Mahak in her Aadhar Card. Which should be corrected and written as Mehak.

MOHAN LAL
*s/o Sh. Pal Singh,
Village Bainkuan,
Distt. Sirmaur (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Virender s/o Sh. Manohar Dass, Village Thana, P.O. & Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Advit Jagithta is wrongly mentioned as Advait Raditya Singh Jagithta in his Aadhar Card No. 9145 2779 2408. Therefore it should be changed to Advit Jagithta in his Aadhar Card. Note the relevant information.

VIRENDER
*s/o Sh. Manohar Dass,
Village Thana, P.O. & Tehsil Tikkar,
Distt. Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Aish Raj s/o Hari Singh, Village Parnai, P.O. Tebban, Karsog, Mandi, Distt. Mandi (H.P.) declare that my minor son's name in Aadhar No. 9955 1375 3003 as Hetash Thakur is wrongly entered. Correct name is Hetansh Thakur.

AISH RAJ
s/o Hari Singh,
Village Parnai, P.O. Tebban, Karsog,
Mandi, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rasheed s/o Kasham, r/o Village Drevad, Tehsil Churah, VTC Charauri (529), P.O. Charori, Distt. Chamba (H.P.)-176 319 declare that I have changed my name from Rasheed (Old Name) to Chhido (New Name). All concerned please may note.

RASHEED
s/o Kasham,
r/o Village Drevad, Tehsil Churah, VTC Charauri (529),
P.O. Charori, Distt. Chamba (H.P.)-176 319.

CORRECTION OF NAME

I, Ritu Jain w/o Ajay Jain, r/o Jain Bhawan, near Govt. PG Collage, Solan, Tehsil & Distt. Solan (H.P.) declare that my name in all Govt. documents is Ritu Jain, whereas my maiden name is Ritu Agarwal, which is recorded in School Certificate and Reliance Share Certificate. This may please be corrected to Ritu Jain. Concerned authorities may please note.

RITU JAIN
w/o Ajay Jain,
r/o Jain Bhawan, near Govt. PG Collage, Solan,
Tehsil & Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohmmad Subhan s/o Rahmad Tula, V.P.O. & Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my son Mohmmad Shaban is wrongly mentioned as Sehban in his Aadhar Card No. 6845 2843 4389. Therefore it should be changed to Mohmmad Shaban in his Aadhar Card. Note the relevant information.

MOHMMAD SUBHAN
s/o Rahmad Tula,
V.P.O. & Tehsil Rohru,
Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Yashoda Verma d/o Late Sh. Kanshi Ram & w/o Sh. Rajinder Pal Verma, r/o Village Parghana Saal, P.O. Kariali, Sub-Tehsil Jalog, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 018 declare that in my PAN Card bearing No. BPZPV5432A my father's name is wrongly entered as Mool Raj, which should be corrected as Kanshi Ram. Please correct this.

YASHODA VERMA
*d/o Late Sh. Kanshi Ram & w/o Sh. Rajinder Pal Verma,
r/o Village Parghana Saal, P.O. Kariali,
Sub-Tehsil Jalog, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 018.*